"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मई 2008—ज्येष्ठ 9, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शिवप्रसाद आत्मज श्री शंकर लाल, उम्र 4[illegible] वर्ष, निवासी क्वा. नं. 298/बी, रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्र मयंक जिसकी जन्मतिथि 7-6-2003 है का नाम परिवर्तित कर भार्गव रख लिया हूं. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को भार्गव आत्मज श्री शिवप्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

मयंक
आत्मज श्री शिवप्रसाद
निवासी क्वा. नं. 298/बी
रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

भार्गव
आत्मज श्री शिवप्रसाद
निवासी क्वा. नं. 298/बी
रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

निविदा सूचनाएं

Raipur, the 21st May 2008

TENDER NOTICE

No. GB-IV Paper-(1-A) 2008-2009/699.- Sealed Tenders are invited for supply of approximately 220 M.T. (±25%) White Offset Paper and 165 M. T. other various kinds of papers i. e. Colour Offset, Azurlaid, Craft, Maplitho and Photo Copier Paper etc., for the printing works of the department to the Govt. Presses at Raipur, Rajnandgaon superscribed with the words Tender for Printing paper 2008-2009 are invited from the paper mills or their Authorised Agents/Dealers of manufacturing Mills having Excise clearance for 16000 Tonnes (only for White Offset Paper) based on 50 TPD about 320 Industrial days. Tenders must reach this office latest by 3.00 P. M. on 24-6-2008 along with test report from Govt. laboratory.

2. The tender will be considered on the tender form supplied by us. It can also be submitted on the form down-loaded from our website **www. etendersindia.net**

3. The tenders will be opened on the same day at 4.00 P. M. in the office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives also may be present. The tenders, samples along with test report from Govt. Laboratory and other tender documents received after the prescribed date and time will not be accepted under any circumstances irrespective of means of despatch and delivery.

4. The details of specifications of the papers and their quantities Required is given in the Tender Form. Tender form can be obtained from Office of the Commissioner, Govt. Printing and Stationery, C. G., Raipur-492001 Near Commercial Tax Office, Civil Line in person on any working day during working hours upto 19-6-08 at the cost of Rs. 1000.00 each in cash or by post for Rs.1100.00 payable by demand draft in favour of the Commissioner, Govt. Printing and Stationery, C. G., Raipur but NOT BY POSTAL ORDER/MONEY ORDER. The Tender form by post will be sent only on the condition that the required Bank Draft and application for purchase of tender form is received in this office upto 13-6-08. The tender form will be despatched by Registered post or by Speed Post or Courier Services but this office shall not be responsible if it is delivered late due to postal delay at both ends. It is advisable that tender form may be obtained in person. Cost of Tender Form once received shall not be refunded.

5. In Case if tenderer obtained the tender from our website he shall have to submitted Rs. 1000 (cash) in our office day before the date of submission of tender otherwise the tender will not be accepted.

Note :- Tender form can be downloaded from **www. etendersindia.net.**

Sd/-
(K. Sreenivasulu)
Commissioner
Govt. Printing and Stationery Department
Behind Old Commissioner Office
C. G. Raipur
Phone No.-2331302

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्र./परिसमापन/2008/844.—पंजीयन क्रमांक 132 दिनांक 16-7-2002 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 545 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, आदर्श उन्नत सुअर पालन एवं विपणन, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्र./परिसमापन/2008/845.—पंजीयन क्रमांक 124 दिनांक 4-1-2002 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 543 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, आरजू साख सहकारी समिति टिकरापारा, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्र./परिसमापन/2008/846.—पंजीयन क्रमांक 148 दिनांक 30-12-2004 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 547 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, अग्रसर महिला बहु. सह. स. मर्या., तिफरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्र./परिसमापन/2008/847.—पंजीयन क्रमांक 3939 दिनांक 9-7-99 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 587 दिनांक 7-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, श्रिया पुस्तक एवं स्टेशनरी स. स., नेहरू नगर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री ललीत शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्र./परिसमापन/2008/848.—पंजीयन क्रमांक 110 दिनांक 26-4-2001 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 549 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, गौंड़ खनिज सह. समिति मर्या., उड़नताल को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री के. ए. खान, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्र./परिसमापन/2008/849.—पंजीयन क्रमांक 75 दिनांक 30-6-2003 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 555 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, आदर्श परिवहन सहकारी समिति मर्या., देवगांव को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्र./परिसमापन/2008/850.—पंजीयन क्रमांक 3686 दिनांक 6-9-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 589 दिनांक 7-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, क्रांति मछुआ सह. समिति मर्यादित, पौंसरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री के. ए. खान, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्र./परिसमापन/2008/851.—पंजीयन क्रमांक 3580 दिनांक 12-1-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 598 दिनांक 7-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, आदर्श मछुआ सह. समिति मर्या., मटियारी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री के. ए. खान, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्र./परिसमापन/2008/852.—पंजीयन क्रमांक 166 दिनांक ....को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1304 दिनांक 21-10-2005 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, जे.पी. बकरी पालन एवं विपणन सह. स., बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के नियम 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2008/864.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक परिसमापन/07/2296/बिलासपुर दिनांक 7-12-2007 के तहत् इंदिरा उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, इंदिरा कालोनी, तारबाहर, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3653 दिनांक 30-3-95 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत् श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 ए/सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बांडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24-4-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के नियम 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2008/865.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक परिसमापन/07/2296/ बिलासपुर दिनांक 7-12-2007 के तहत् आजाद उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, वायर लेस कालोनी, बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3650 दिनांक 28-3-95 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत् श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा18(1)(2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बांडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24-4-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के नियम 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2008/866.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/07/2296/बिलासपुर दिनांक 7-12-2007 के तहत् साई बाबा उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, विष्णु नगर, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3632 दिनांक 28-2-95 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत् श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बांडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24-4-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के नियम 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2008/867.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/07/2296/ बिलासपुर दिनांक 7-12-2007 के तहत् जन कल्याण प्राथ. उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3611 दिनांक 24-2-95 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत् श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बांडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24-4-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के नियम 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2008/868.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/07/2296/ बिलासपुर दिनांक 7-12-2007 के तहत् सत्यम उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, गुरूघासीदास नगर बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3669 दिनांक 15-5-95 विकास खण्ड, बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत् श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बांडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24-4-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर, दिनांक 30 अप्रैल 2008

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उ. पं. जां. /परी./08/340.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परी./ 1750 दिनांक 24-6-95 के द्वारा आदर्श कोसा बुनकर सहकारी समिति मर्या., बलौदा, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 2595 है, को छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर. के. कौशिक पद स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जांजगीर, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/1/5/6/79/एफ-15 दिनांक 27-08-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-4-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया है.

जांजगीर, दिनांक 30 अप्रैल 2008

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमाक/उ. पं. जां. /परि./08/341.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./ 1750 दिनांक 24-6-95 के द्वारा भवन निर्माण सहकारी समिति मर्या., बलौदा, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 97 है, को छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर. के. कौशिक पद स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जांजगीर, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/1/5/6/79/एफ-15 दिनांक 27-08-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-4-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया है.

जांजगीर, दिनांक 30 अप्रैल 2008

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उ. पं. जां. /परि./08/342.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./ 524 दिनांक 15-7-02 के द्वारा उत्खनन सहकारी समिति मर्या., पोडी-दल्हा, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 183 है, को छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर. के. कौशिक पद स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जांजगीर, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/1/5/6/79/एफ-15, दिनांक 27-08-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-4-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया है.

जांजगीर, दिनांक 30 अप्रैल 2008

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उ. पं. जां. /परि./08/343.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./ 501 दिनांक 4-9-86 के द्वारा हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., कोरबी, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 92 है, को छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर. के. कौशिक पद स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जांजगीर म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/1/5/6/79/एफ-15 दिनांक 27-08-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-4-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया है.

एन. कुजूर,
प्र. उप पंजीयक

कार्यालय उप.पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक/ परिस./08/215.—अध्यक्ष, ग्राम विकास कामगार सह. समिति मर्या., रोहिनाडीह, पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 24-1-03 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 692 दिनांक 1-12-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, ग्राम विकास कामगार सहकारी समिति, रोहिनाडीह को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री डी. डी. जोगांश, स. वि. अ., पाली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक/ परिस./08/216.—अध्यक्ष, गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या., गोपालपुर, पंजीयन क्रमांक 3871, दिनांक 1-7-97 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 691 दिनांक 1-12-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, गिट्टी खदान सह. समिति मर्या., गोपालपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री डी. डी. जोगांश, स. वि.अ., पाली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक/ परिस./08/217.—अध्यक्ष, गिट्टी बोल्डर खदान सह. समिति मर्या., बम्हनी कोना, पंजीयन क्रमांक 3868, दिनांक 24-6-97 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 690 दिनांक 1-12-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, गिट्टी बोल्डर खदान सह. समिति मर्या., बम्हनी कोना को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री डी. डी. जोगांश, स. वि.अ., पाली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक/ परिस./08/218.—अध्यक्ष, गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या., कांजीपानी (नुन्हापारा), पंजीयन क्रमांक 3865, दिनांक 17-6-97 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 689 दिनांक 1-12-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, गिट्टी खदान सह. समिति मर्या., कांजीपनी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री डी. डी. जोगांश, स. वि.अ., पाली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक/ परिस./08/219.— अध्यक्ष, राजीव गांधी मिशन मछुआ सह. समिति मर्या., मुरली, पंजीयन क्रमांक 3710, दिनांक 3-1-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 688 दिनांक 1-12-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, राजीव गांधी मिशन मछुआ स. स., मुरली को परिसमापन में लाता हूं तथा तथा श्री डी. डी. जोगांश, स. वि.अ., पाली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक/ परिस./08/220.— अध्यक्ष, महालक्ष्मी गिट्टी खदान सह. समिति मर्या., रंगोले, पंजीयन क्रमांक 15, दिनांक 24-10-2000 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 686 दिनांक 1-12-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, महालक्ष्मी गिट्टी खदान स. स., रंगोले को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री डी. डी.जोगांश, स. वि. अ., पाली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक/ परिस./08/221.— अध्यक्ष, फल फूल सब्जी उत्पा. सह. समिति, चैतमा, पंजीयन क्रमांक 23, दिनांक 28-8-2001 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 685 दिनांक 1-12-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, फल फूल सब्जी उत्पा. सह. स., चैतमा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री डी. डी. जोगांश, स. वि. अ., पाली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक/ परिस./08/222.—अध्यक्ष, रेत मुरूम खदान सह. समिति मर्या.,पाली, पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक 22-1-02 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 684 दिनांक 1-12-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, कोरबा, रेत मुरूम खदान सह. स.मर्या., पाली को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री डी. डी. जोगांश, स. वि. अ., पाली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक/ परिस./08/223.—अध्यक्ष, संतोषी बुनकर सह. समिति मर्या., छुरी पंजीयन क्रमांक 3045, दिनांक 12-11-76 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 736 दिनांक 31-12-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक को शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं कोरबा, संतोषी बुनकर सह. स., छुरी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री ओ. कुजूर, स. वि. अ., पाली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक/ परिस./08/224.—अध्यक्ष, ईंट खपरा उद्योग सह. समिति मर्या., रैनपुर, पंजीयन क्रमांक 173, दिनांक 5-4-90 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 737 दिनांक 31-12-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं कोरबा, ईंट खपरा उद्योग स. स., रैनपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री ओ. कुजूर, स. वि. अ., कटघोरा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक/ परिस./08/225.—अध्यक्ष, गिट्टी निर्माण सह. समिति मर्या., आमाखोखरा, पंजीयन क्रमांक 3488, दिनांक 13-7-92 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 738 दिनांक 31-12-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं कोरबा, गिट्टी निर्माण सह. स., आमाखोखरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री ओ. कुजूर, स. वि. अ., कटघोरा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक/ परिस./08/226.—अध्यक्ष, पत्थर एवं रेत खदान सह. समिति, रंजना, पंजीयन क्रमांक 3924, दिनांक 15-1-99 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 739 दिनांक 31-12-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, पत्थर एवं रेत खदान सह. स., रंजना को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री ओ. कुजूर, स. वि. अ., कटघोरा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 2 मई 2008

क्रमांक/ परिस./08/261.—अध्यक्ष, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., मोंगरा, पंजीयन क्रमांक 3452 दिनांक 10-12-91 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 742 दिनांक 31-12-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं कोरबा, प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., मोंगरा को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधिकारी, कटघोरा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 2 मई 2008

क्रमांक/ परिस./08/262.—अध्यक्ष, बालाजी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., बल्गीखार (परियोजना), पंजीयन क्रमांक 3702, दिनांक 2-11-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 740 दिनांक 31-12-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ /5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं कोरबा, बालाजी प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., बल्गीखार परियोजना को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधिकारी, कटघोरा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 2 मई 2008

क्रमांक/ परिस./08/263.—अध्यक्ष, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., बल्गीखार, वार्ड क्र. 46, पंजीयन क्रमांक 3772, दिनांक 30-3-92 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 741 दिनांक 31-12-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं कोरबा, प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., बल्गीखार, वार्ड क्र. 46 को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधिकारी कटघोरा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 2 मई 2008

क्रमांक/ परिस. /08/264.—अध्यक्ष, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., बाकी मोंगरा, वार्ड क्र. 51, पंजीयन क्रमांक 3457, दिनांक 24-1-92 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 742 दिनांक 31-12-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं कोरबा, प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., बांकी मोंगरा, वार्ड 51 को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधिकारी कटघोरा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 2 मई 2008

क्रमांक/ परिस. /08/266.—अध्यक्ष, खनिज सहकारी समिति मर्या., रामपुर, पंजीयन क्रमांक 3804, दिनांक 3-10-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 72 दिनांक 25-1-08 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी/ दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं कोरबा, खनिज सह. समिति मर्या., रामपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधिकारी, पोड़ी उपरोड़ा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

दिलीप जायसवाल,
प्र. उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.